प्रेस विज्ञप्ति

17.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय के अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने दाहोद फ़र्ज़ी सरकारी दफ़्तर घोटाले के सिलसिले में, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत 22.70 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से ज़ब्त किया है। ज़ब्त की गई संपत्तियां अबूबकर ज़कीरली सैयद और उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगियों की हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने गुजरात के दाहोद टाउन 'A' डिवीज़न पुलिस स्टेशन में दर्ज एँफ़आईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह मामला दाहोद जिले में सिंचाई और जल संसाधन विभाग के छह नकली सरकारी दफ्तर बनाने से जुड़ा है। आरोप है कि आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों का रूप धरा, नकली मुहरें और हस्ताक्षर बनाए, नकली दस्तावेज़ तैयार किए और धोखाधड़ी से सरकारी ग्रांट हासिल की।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला कि आरोपी लोगों ने मिलीभगत करके 121 फर्जी कामों के लिए मंज़ूरी ली और धोखाधड़ी से सरकारी फंड हासिल किया। गैर-कानूनी तरीके से हासिल किए गए इस फंड को बैंक अकाउंट्स के एक जटिल नेटवर्क के ज़रिए इधर-उधर घुमाया गया और बाद में इसका इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने, निवेश करने और दूसरे कामों के लिए किया गया।

अटैच की गई संपत्तियों में ज़मीन के सात टुकड़े, म्यूचुअल फंड में निवेश और अलग-अलग बैंक खातों में जमा राशि शामिल है। इन अटैच की गई संपत्तियों की कुल कीमत 22.70 करोड़ रुपये है।
जांच में आगे यह भी पता चला कि धोखाधड़ी से हासिल रकम सबसे पहले फ़र्ज़ी सरकारी दफ़्तरों के नाम पर खोले गए 9 बैंक खातों में जमा की गई थी। वहां से, यह रकम 18 बीच के खातों के ज़रिए ट्रांसफर की गई और बाद में 118 दूसरे खातों में बांट दी गई; ये खाते उन लोगों और संस्थाओं से जुड़े थे जिनका संबंध आरोपियों से था।

लोगों को सलाह दी जाती है कि वे छोटे पेमेंट, कमीशन या आर्थिक फ़ायदे के बदले किसी भी व्यक्ति के साथ अपने बैंक अकाउंट, ATM कार्ड, चेक बुक, इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी, OTP या KYC डॉक्यूमेंट शेयर न करें। धोखाधड़ी करने वाले अक्सर ऐसे अकाउंट का इस्तेमाल 'म्यूल अकाउंट' के तौर पर करते हैं, ताकि साइबर फ्रॉड, आर्थिक घोटाले और दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियों से मिली अवैध कमाई को इधर-उधर भेजा जा सके। भले ही अकाउंट होल्डर सीधे तौर पर धोखाधड़ी में शामिल न हो, लेकिन अपने अकाउंट का इस्तेमाल दूसरों को करने देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और अपने बैंक अकाउंट या बैंकिंग जानकारी का इस्तेमाल करने की किसी भी संदिग्ध रिक्वेस्ट की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए।

आगे की जांच चल रही है।